न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—375/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/375)

1. रामरतन पुत्र छीतर जाति जाट, निवासी ग्राम नरेना, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामा पुत्र बिरदा
2. रामकरण पुत्र बिरदा
3. गोपाल पुत्र बिरदा
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नरेना तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
4. भंवर लाल पुत्र छीतर
5. घीसालाल पुत्र छीतर
6. किशनलाल पुत्र छीतर
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नरेना, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।
8. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा हरमाडा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, रूपनगढ विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.10.2022 राजस्व वाद संख्या 30/2021 में पारित किया।

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान अभिभाषक अपीलांट्स.
2. श्री शंकरलाल चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 07
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6, 8

निर्णय

दिनांकः— 27.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 30/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 806/285 गत 285/2 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा के पश्चित में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 285 गत खसरा संख्या 285/1 वाकै ग्राम नरेना तहसील रूपनगढ जिला अजमेर स्थित है, उपरोक्त आराजी में खसरा संख्या 284 गै0मु0 चाह स्थित होना वर्णित करते हुए व उपरोक्त गै0 मु0 चाह की आराजी खसरा संख्या 284 को संयुक्त खातेदारी मे होना वर्णित कर उक्त खसरा संख्या 284 गै0मु0 चाह में आवागमन हेतु खसरा संख्या 285 से रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजीयात खसरा संख्या 285 मे यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो भूमि के बदले भूमि दी जावे अथवा मात्र 10 फीट रास्ता ही कुए के आवागमन हेतु पर्याप्त है। उपरोक्त प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 6.7.2022 के आधार पर लघुतम रास्ता खसरा संख्या 285 में से होना वर्णित करते हुए निर्णय दिनांक 10.10.2022 से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 30/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6, 8 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रथमतः धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को एक काश्तकार को स्वंय की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की अनुपलब्धता के आधार पर रास्ता स्वीकृति के आदेश दिए जा सकते है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 285 जो कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी रही है व विधिक रूप से किए गए विभाजन अनुसार पृथक पृथक खातेदार अपने अपने हिस्से में चले आ रहे है। खसरा संख्या 285 जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 की खातेदारी में अंकन रहा है व खसरा संख्या 284 गै.मु. चाह प्रार्थी की खातेदारी में स्थित है मे वरवक्त विभाजन पृथक से अंकन किया गया है जिसमें आवागमन हेतु किसी भी प्रकार से रास्ते की पात्रता अप्रार्थी नहीं रखते है। द्वितीयतः कुए मे आवागमन हेतु रास्ता के प्रावधान धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्णित नहीं है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाये जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। उक्त बाबत धारा 251ए में प्रावधित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष गै. मु. चाह खसरा संख्या 284 में आवागमन हेतु रास्ता होना अंकित किया है, इससे स्वयं में प्रमाणित है कि मौके पर पक्षकारान की विभाजन की गई आराजी में जहां अपने अपने हिस्से पर पक्षकारान काबिज है। गै. मु. चाह की आराजी जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 285 में दर्ज है, में वांछित रास्ते प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को दो भागों मे विभाजित करता है। उक्त बाबत पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकन किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को आपसी विभाजन में प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति मे खसरा संख्या 285 की भूमि में से होकर आवागमन किए जाने का कथन मिथ्या है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए थे। अतः उक्त आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिये दिया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रूपनगढ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 17.11.2022 में स्पष्टत्या अंकन किया है कि आराजी खसरा 284 जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है, में आने जाने हेतु अन्य खसरा संख्या में से मौके पर रेस्पोडेन्ट उपयोग मे ला रहा है व अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता दिए जाने में लगभग आधा बीघा भूमि प्रभावित होगी। कुए पर जाने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हेतु 10 फीट रास्ता पर्याप्त है जिस बाबत यदि भूमि के बदले भूमि जाती है तो प्रार्थी उक्त बाबत सहमत है। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 द्वारा उक्त संदर्भ में जवाब प्रस्तुती के उपरान्त भी 30 फीट का रास्ता स्वीकृत किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। गै.मु. चाह पर आवागमन बाबत करीब 30 फीट रास्ते की भूमि को रास्ते में दर्ज किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य था, वादग्रस्त आराजीयात को रास्ते मे दर्ज किए जाने बाबत आदेश पारित किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 7 से मौके की रिपोर्ट तलब कराये जाने के आदेश पारित किये है किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 7 द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का को उक्त संदर्भ में मनोनीत कर मौके की रिपोर्ट तलब की गई है, जबकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान जो कि आज्ञात्मक है के अनुसार पीठासीन उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार या आई०एल०आर० से निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी मौके पर रिपोर्ट हेतु नही जा सकेगा, ना ही उक्त आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मनोनीत तहसीलदार रेस्पोडेन्ट सं0 7 द्वारा पटवारी हल्का को उक्त निमित मनोनीत करते हुये रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसे उक्त दिनांक को ही प्राप्त होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जो वो ठीक समझे करने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यक्ता आत्यांन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है, और (2) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत जहां मौके पर पूर्व से ही खसरा संख्या 27 व अन्य खसरा नम्बरान में से आवागमन हेतु रास्ता स्थित है, वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु स्थित है। वैकल्पिक रास्ता होने के उपरांत भी अपीलांट की आराजीयात में से रास्ता दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार कर आदेश पारित किए गए है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 30/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0आर0डी0 14.12.2019 पेज 738, 2016(2)आर0आर0टी0 1281; 2016(1)आर0आर0टी0 पेज 440, 2019 डी0एन0जे0(रेवे0 63), 2014(1)आर0आर0टी0 पेज 40.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 806/285 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 806/285 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी 1 लगायत 4 की भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 285 स्थित है । प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त, खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 806/285 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 285 स्थित है, जिसमें भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ख0न0 284 गै0मु0चाह स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपनी भूमियों की सिंचाई इसी गै0मु0चाह से करते है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 806/285 में जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 285 से होकर स्थित है, किन्तु रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम नहीं हो रखा है, जो रास्ता नजरी नक्शे में ए से बी लाल रंग से दर्शित किया गया है प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि गै0मु0 चाह कुआं के चारों दिशाओं में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 806/285 से गै0मु0 चाह ख0न0 284 में पहुँचने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 285 में से होकर जाता है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से अर्से दराज से गाड़ी ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि यंत्र, चारा, उपज आदि लेकर गै0मु0 चाह (ख0न0 284) से अपने खेत में लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की कृषि आराजी ख0न0 806/285 से शुरू होकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत के ख0न0 285 के मध्य से होता हुआ गै0मु0 चाह ख0न0 284 तक जाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 30 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी की पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की गै0मु0 चाह की भूमि ख0न0 284 के चारों तरफ अप्रार्थीगण की कृषि आराजी भूमि ख0न0 285 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते रहते है । अप्रार्थीगण रोजाना प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को बंद करने की धमकी देते रहते है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 284 गै0मु0 चाह तक पहुंचने वाले रास्ते को बन्द करने का अधिकार-प्राप्त नहीं है। प्रत्येक काश्तकार को कानूनन अपनी आराजी में पहुंचने हेतु रास्ता होना आवश्यक माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाए व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 11.11.2021 को वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस की गई। दिनांक 19.1.2022 को अप्रार्थी संख्या 5, 6 के नोटिस तामीलशुदा व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नोटिस अदम तामील प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 20.4.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त। दिनांक 20.5.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उनके अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 27.7.2022 को तहसीलदार रूपनगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 5.8.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक 19.9.2022 को अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक 10.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए।

पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबंदी 2071–2074 खसरा संख्या 284 रकबा 0.0324 गै0मु0 चाह जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 806/285 से लगती हुई आराजी प्रार्थी के खसरा नम्बर 285 के मध्य से होता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हुआ खसरा नम्बर 284 गै0मु0 चाह है इसके चारों तरफ प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 285 स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा नम्बर 285 में से 30 फीट रास्ता स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ते बाबत आने वाली भूमि का रकबा 0.0331 है0 को लघुत्तम रास्ता अंकित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस आधार पर स्वीकार किया गया यह उनके द्वारा अपने निर्णय में इसका को विवेचन नहीं किया गया। खसरा नम्बर 284 गै0मु0 चाह है व अपीलांट व रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी/कब्जेकाश्त की आराजी है चूंकि अपीलांट को काश्त करने हेतु कुंए पर पहुंचने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। दिनांक 6.7.2022 की पटवार हल्का व आई0एल0आर0 द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 284 की दक्षिणी सीमा की तरफ 30 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 285 में से दिया गया जिसका रकबा 0.0331 है। ऐसे प्रकरणों में तहसीलदार, रूपनगढ को स्वयं मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान की उपस्थिति में मौके का भली भांति निरीक्षण कर व अन्य ग्रामीण/मौतबिरान व्यक्तियों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी। ताकि मौका कुर्रेजात रिपोर्ट अधिक न्याय संगत बन सकती है, जिससे काश्तकारों के मध्य आपसी सौहार्द बना रहे। चूंकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ते का प्रावधान है परंतु अधीनस्थ न्यायालय को अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने से पूर्व अपने न्यायपूर्ण विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि कुंए पर मोटर आदि चलाने के लिए व आवश्यक सामग्री ले जाने के लिए कितने फीट का रास्ता पर्याप्त होगा क्यों कि उक्त प्रकरण में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता तो प्रतीत होती है परंतु कितना फीट रास्ता दिया जाना उक्त प्रकरण में उचित होगा कि उक्त आराजीयात से संबंधित पक्षकारों की भूमि कम से कम रास्ते बाबत उपयोग/उपभोग में ली जावे व दिया गया रास्त सुलभ/लघुत्तम हो। चूंकि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया 30 फीट का रास्ता किसी भी रूप से विधिसम्मत नहीं है व न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित की है अतः उपरोक्तानुसार वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 30/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि तहसीलदार रूपनगढ स्वयं मौके पर उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करे। अधीनस्थ न्यायालय पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष दिनांक 17.02.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसले शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

27/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner